

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
राधेश्याम सिंह गणेशनारायण वगैरे

केस संख्या : प्रा. पत्र 20/2024

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
25/6/24		<p>पत्रावली आज दिनांक 26/6/24 को पेश हुई। पीठवासी अधिवक्ता आज अवकाश पर है, पत्रावली को 11/7/24 को पेश हो।</p>
11/7/2024		<p>पत्रावली प्राप्त वकील प्रार्थी उपर पत्रावली वास्ते इंतजार अप्रार्थी-1 हेतु दिनांक 25/7/24 को पेश हो।</p>
25/07/24		<p>पत्रावली प्राप्त प्रार्थी अधिवक्ता उपर अप्रार्थी-1 की रोजगारी खरीद पत्रा है नोटिस मकत तमील नही है मतः एक महीने का presumption मानकर तमील पूर्ण नही जाती है। अप्रार्थी-1 वाकबुद तमील रूपस्थित है मतः इन्के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय कदम पुत्री प्रर। प्रार्थी अधिवक्ता ने विवेक किया कि अप्रार्थीगण को के पा विवाहित दारानी का बेचान करना चाहते है मतः अप्रार्थीगण को जरिपे मस्यार विवेक से पाबन्ध किया जाये।</p> <p>दोसरे कदम किये जाये तबसे व पत्रावली का इवलोकन किया गया। तापु छंटवारे का है तथा एक सदस्यतेदार द्वारा दूसरे सदस्यतेदार को पाबन्ध</p>

फर्द अहकाम

राधेश्याम बनाम राधेश्याम

सहायक कलक्टर आमेर मुक्त जयपुर

दि. 20/2024

आज्ञा या गाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>किसी ठीक प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थना ऐसा कोई सत्य प्रस्तुत नहीं किया विशेष जाहिर की सहायता करनी का केचन करण या सुई-सुई करण चाहते है। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया माफला, अनुपस्थिति प्रतीत प्रार्थना के फल में प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप प्रार्थना पर कस्वार् निषेधात्ता पोषणीय नहीं होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुभर वेकल दारिद्र्य रिपत हो</p>	

सहायक कलक्टर
जयपुर